taking such a decision, it is ensured that the interests of the indigenous producers are not jeoperdised. It is not correct that the export of cotton has been banned and currently export of cotton is being permitted to the extent it is considered surplus to the domestic requirements.

Evasion of excise duty by ITC and Wazir Sultan Co.

1041. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have since completed the inquiry into the evasion of excise duty of more than Rs. 500 crores by Indian Tobacco Co. and Wazir Sultan Co. by not printing the prices on cigarettes produced by them; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) No avasion of central exice duty by M|s. Indian Tobacco Company on account of not printing the prices of cigarettes on cigarette packets was detected. The enquiries against M/s. Wazir Sultan Company have been completed and a demand of Rs. 17,10,369.70 on this account was issued to the assessee. They have preferred an appeal against the aforesaid demand to the Appellate Collector.

Realisation of excise duty from Escorts Ltd. and D.C.M. Group of Companies

1042. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a what are the details of the excise duty pending realisation from M|S Escorts Ltd. and D.C.M group of companies;

(b) since when the amount is pending realisation; and

(c) what steps are being taken for its realisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Recovery of customs and excise duty from M/s. Union Carbide Limited

1043. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a huge amount of customs and excise duty is pending realisation from M|s Union Carbide Limited;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) since when it is pending; and

(d) what steps Government have taken for the recovery of this amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठानों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशियां

1044. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनकी ओर करोड़ों रुपये की भविष्य निधि बकाया है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की ओर भविष्य निधि को कोई धनराशि बकाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन मिलों के नाम क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों सहित उन प्रतिष्ठानों के नाम हैं जिन की ओर 10 लाख रुपये या इससे अधिक की राशि बकाया है और उक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए उनके खिलाफ की गई कार्रवाई दी गई है ।

विवरण

31.10.1985 की स्थिति के अनुसार उन प्रतिष्ठानों जिनकी ओर 10 लाख रु० या उससे अधिक की राशि बकाया है, के नाम

प्रतिष्ठान का नाम	राशि (रुपये लाखों में)	की गई कार्रवाई
1	2	3
इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर (राष्ट्रीय वस्त्र निगम) (रा०व०नि०) की एक यूनिट)	88.63	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है । उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामला दायर किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन भी मामले दायर किए गए हैं ।
कल्याणमल मिल्स, इंदौर (रा०व०नि० की एक यूनिट)	28.95	—यथोक्त—
स्वदेश काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इंदौर (रा० व० नि० की एक यूनिट)	22.43	—यथोक्त—
हीरा मिल्स, उज्जैन (रा० व० नि० की एक यूनिट)	28.55	—यथोक्त
न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल (रा० व० नि० की एक यूनिट)	13.39	—यथोक्त—
मै० द हुक्मचन्द मिल्स लि०, इंदौर	106.90	चूक की सारी अवधि के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है । अभियोजन मामला दायर किया गया है ।

1	2	3
मै० द राजकुमार मिल्स लि०, इंदौर	57.90	चूक की सारी अवधि के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। अभियोजन मामला दायर किया जा चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन मामले दर्ज करने के लिए भविष्य निधि एरिया निरीक्षक को भेजे जा चुके हैं।
मै० होप टैक्सटाइल लि०, इंदौर एम०पी०/5	136.54	चूक की सारी अवधि के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है। धारा 14 और 14(क) एवं 14(कक) के अधीन अभियोजन मामले न्यायालय में दायर किए गए। 2/82 की अवधि तक के लिए भारतीय4 दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन भी मामले दायर किए गए हैं।
		चूक की सारी अवधि के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है। धार 14 और 14 (क) एवं 14(कक) के अधीन अभियोजन मामले न्यायालय में दायरा किए गए। भारतीय दंड संहित की धारा 406/409 के अधीन भी मामले दायर किए गए हैं।
मै० विमल मिल्स कं० लि०, उज्जैन	71.64	—यथोक्त
मै० इन्दौर टैक्सटाइल लि०	56.99	चूक की सारी अवधि के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है। अभियोजन मामले दायर किए गए। भारतीय दंड संहिता का धारा 406/409 के अधीन मामले दायर करने के लिए क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी को भेजे गए हैं।
मै० श्री सज्जन मिल्स लि०, रतलाम	62.17	—यथोक्त—
मै० गजरा गियर्स प्रा० लि०, स्टेशन रोड, देवास	17.76	अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामला भी दायर किया गया है।